संख्या 05/08–XIX–2/49वि0– खाद्य/2006

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी, 2008.

विषयः उपभोक्ता संरक्षण एकीकृत परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के जिला फोरमों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या– 259/07–XIX–2/49वि0– खाद्य / 2006 दिनांक 26 अक्टूबर 2007 के कम में निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 4(2)2005–सीपीयू(पीटी) XIX दिनांक 30 मार्च, 2007 द्वारा स्वीकृत की गई कुल धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के जनपद कमशः हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में जिला उपभोक्ता फोरा के भवन निर्माण हेतु श्री राज्यपाल महोदय कुल रू0 73.75 लाख (रूपये तिहत्तर लाख, पिचहत्तर हजार मात्र) के उपभोग हेतु आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः–

1. उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि भारत सरकार के उल्लिखित पत्र के साथ संलग्नक –1, में अंकित विवरणानुसार जिला उपभोक्ता फोरा के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में कमशः जनपद हरिद्वार– रू0 13.75 लाख , ऊधमसिंहनगर, –15.00 लाख, अल्मोड़ा– 15.00 लाख, पिथौरागढ–15.00 लाख तथा चम्पावत– रू0 15.00 लाख निर्धारित मानकों के अनुसार व्यय की जायेगी तथा धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश/मापदण्ड/समयावधि के अनुरूप ही खर्च किया जायेगा।

2. उक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग, के द्वारा कराये जायेंगे तथा व्यय विवरण भारत सरकार के पत्र सं0 4(2)/2005–सी.पी.यू (पी.टी.) दिनांक 22.08.07 में दिये गये निर्देशानुसार धनराशि का उपयोग किया जायेगा एवं उक्त पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र फॉर्म जी.एफ.आर. 19ए के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के कियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार के उपर्युक्त उल्लिखित पत्र के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम भवन की कुल कारपेट एरिया तथा भवन में निर्मित होने वाले कमरों का पूर्ण रूप से नियमानुसार निर्माण किया जायेगा।

5. यह सूचित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया गया है जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली गयी है।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"3456– सिविल पूर्ति–001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजनागत–01–केन्द्रीयआयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0105– राज्य आयोग एवं जिला फोरमों की स्थापना –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1370/वि0अनु0–5/2008 दिनांक 19 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकःउपर्युक्त।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्या 05 (1)/ 08–XIX–2/36 खाद्य/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2.निदेशक,उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 4(2)2005–सीपीयू(पीटी) XIX दिनांक 30 मार्च, 2007 के संदर्भ में।
3.वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून।
4.समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तराखण्ड।
5.निबन्धक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6.वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, खाद्य गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
7.निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9.वित्त अनुभाग–5/खाद्य अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
10.समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11.गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव